

\*जनपद – संतकबीरनगर\*

\*प्रेस नोट\*

\*दिनांक 22.01.2026\*

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शस्त्र अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.01.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

\*घटना विवरण:-\*

दिनांक 31.05.2001 को अभियुक्त जबीउल्लाह पुत्र मो0 हुसेन निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के पास से 01 अदद अवैध चाकू बरामद करते हुए थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

\*सज्जा विवरण:-\*

मु0अ0सं0 117/2001 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 4/25 आर्स एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.01.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

\*घटना विवरण:-\*

दिनांक 26.09.2015 को वादी मुकदमा प्रभारी थाना दुधारा श्री सतानन्द पाण्डेय द्वारा अभियुक्त तबारक पुत्र पीर मोहम्मद निवासी गंगौली थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 08 अदद गोवंशीय पशु बरामद करते हुए थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री संतराज यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

\*सज्जा विवरण:-\*

मु0अ0सं0 855/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

**“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी की मोटरसाइकिल नम्बर प्लेट बदलकर उपयोग करने के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष 09 माह कारावास व 600 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.01.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास(जो अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी जा चुकी है) व 600 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**\*घटना विवरण:-\***

दिनांक 24.06.2015 को वादी मुकदमा प्रभारी थाना महुली श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा अभियुक्त अर्जुन वर्मा पुत्र दीनदयाल वर्मा निवासी महुली पठान टोला पक्का चौक थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को खलीलाबाद के पास एक सरकारी स्कूल में रुकी बारात से मोटरसाइकिल चोरी कर उसका नम्बर प्लेट बदल कर चलाते हुए गिरफ्तार किया गया व मोटरसाइकिल बरामद करते हुए थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

**\*सजा विवरण:-\***

मु0अ0सं0 425/2015 धारा 41/411/413/420 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 411 भा0द0वि के अपराध में 03 वर्ष कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 413 भा0द0वि के अपराध में 03 वर्ष 09 माह कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 420 भा0द0वि के अपराध में 03 वर्ष कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

**“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मोटरसाइकिल चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर उपयोग करने के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष 09 माह कारावास व 800 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.01.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष 09 माह कारावास (जो अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी जा चुकी है) व 800 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**\*घटना विवरण:-\***

दिनांक 20.05.2015 को वादी मुकदमा श्री विवेक कुमार पुत्र श्री कृष्णदेव निवासी पियारेपुर जोत कालू थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त अर्जुन वर्मा पुत्र दीनदयाल वर्मा निवासी महुली पठान टोला पक्का चौक थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर उसका नम्बर प्लेट बदल कर चलाने के सम्बन्ध में थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उ0नि0 श्री सुकदेव पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

**\*सजा विवरण:-\***

मु0अ0सं0 342/2015 धारा 379/411/413/420 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 379 भा0द0वि के अपराध में 03 वर्ष कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 411 भा0द0वि के अपराध में 03 वर्ष कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 413 भा0द0वि के अपराध में 03 वर्ष 09 माह कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 420 भा0द0वि के अपराध में 03 वर्ष 09 माह कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार\*

\*थाना धनघटा पुलिस\* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

\*थाना बखिरा पुलिस\* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 191 वाहनों से 2,11,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\*

आज दिनाँक 22.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 191 वाहनों से 2,11,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

\*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान\*

- \*जनपद के समस्त थानों द्वारा 63 स्थानों पर 1611 व्यक्तियों को किया गया चेक।\*
- \*947 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।\*
- \*32 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।\*
- \*58 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।\*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरूक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 155 व्यक्तियों को चेक किया गया, 125 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 06 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 190 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 06 स्थानों पर 288 व्यक्तियों को चेक किया गया, 190 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर 198 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 220 व्यक्तियों को किया गया, 195 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 15 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06. थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 190 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 210 व्यक्तियों को चेक करते हुए 135 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 09 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर 115 व्यक्तियों को चेक किया गया, 65 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 45 व्यक्तियों को चेक किया गया, 42 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

\*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान\*

- \*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 56 स्थानों पर 2305 वाहनों को किया गया चेक।\*
- \*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 103 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।\*
- \*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों से उत्तरवायी गयी काली फिल्म।\*
- \*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।\*
- \*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही\*
- \*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1289 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।\*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात \*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 22.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।